नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। कि टी–स्टाल(केन्टीन)/साईकिल स्टेण्ड एवं वाग वहार की नीलामी हेतु दिनांक 7–6–19 नियत की गई थी, लेकिन कोई ठेकेदार नीलामी बोलने हेतु उपस्थित नही हुआ। अतः वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतू कलेक्ट्रेट परिसर में स्थिल टी–स्टाल (केन्टीन)/साईकिल स्टेण्ड/वाग वहार का सार्वजनिक नीलाम अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख दिनांक 20–6–2019 दिवस वृहस्पितिवार दोपहर 3.00 बजे को किया जायेगा। टी–स्टाल (केन्टीन) एवं साईकिल स्टेण्ड का नीलाम, नीलामी दिनांक से दिनांक 31–3–2020 तक के लिये एवं वाग वहार का नीलाम दिनांक 1–7–19 से 31–3–2020 तक के लिये किया जायेगा। नीलाम की शर्ते निम्नवत हैं।

बोली बोलने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित प्रमाण पत्र बोली बोलने से पूर्व दिनांक 20–6–19 को पूर्वान्ह 12–00 बजे तक जमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। बोलीदाता को निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा नीलाम की शर्तो को पूर्ण करना होगा।

1– जिलाधिकारी रामपुर द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (2वर्ष के लिये) जिसकी अवधि नीलाम तिथि को वैध हो।

2– जिलाधिकारी रामपुर द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र जो कम से कम 5,00,000/–रू0 (दो वर्ष के लिये) जिसकी अवधि नीलाम तिथि को वैध हो।

3– बोलीदाता को नजारत विभाग कलेक्ट्रेट, रामपुर का टी–स्टाल(केन्टीन)/ साईकिल स्टेण्ड की नीलामी में सम्मिलित होने हेतु रूप्ये 20,000/– तथा बाग वहार की नीलामी में सम्मिलित होने हेतु रूपये 5,000/– की धनराशि जमानत के रूप में एफ0डी0आर0/बैकर्स चैक अथवा बैक ड्राफट के रूप में प्रभारी अधिकारी नजारत के पक्ष में जमा करनी होगी।

4– बोलीदाता को नो ड्यूज प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5– नीलाम स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी रामपुर का होगा। नीलाम की धनराशि का 2.44 प्रतिशत आयकर एवं 4 प्रतिशत व्यापार कर एवं 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क नीलाम स्वीकृति पर नीलाम राशि के अतिरिक्त तत्काल जमा करना होगा।

6– बोली छुटने के पश्चात सर्वाधिक बोलीदाता को 1/4 धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि नीलाम स्वीकृति के उपरान्त जमा करना अनिवार्य होगा।

7– नीलाम की शेष धनराशि नियत अवधि मे एक मुश्त जमा न करने पर ठेकेदार द्वारा जमा की गई धनराशि व 1/4 धनराशि जब्त करते हुये ठेका निरस्त करते हुये पुनः नीलाम कर दिया जायेगा और ठेकेदार से बकाया की वसूली भूराजस्व मालगुजारी के रूप में वसूल की जायेगी।

8– नीलाम स्वीकृति के उपरान्त अन्य व्यक्ति/संस्था को हस्तान्तरित नही किया जा सकता है।

9– अन्य शर्ते नीलामी के समय कार्यालय से ज्ञात की जा सकती है

दिनांक :– जून 10, 2019

(सर्वेश कुमार गुप्ता)
नगर मजिस्ट्रेट/प्र0अ0 नजारत
कृते जिलाधिकारी,रामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, रामपुर

संख्या 3861 /नाजिर सदर

दिनांक 10 जून, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि इस नीलामी सूचना का हिन्दी/उर्दू के एक–एक दैनिक समाचार पत्रों में एक दिवस कराकर समाचार पत्र की एक–एक प्रति इस कार्यालय को नियत तिथि से पूर्व उपलब्ध कराने का कष्ट करें। नीलामी सूचना की एक अतिरिक्त प्रति एवं सी0डी0 आपको भेजी जा रही है।

2– जिला सूचना अधिकारी रामपुर।

3– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नीलाम का प्रचार प्रसार किये जाने हेतु जनपद की वेवसाइट पर डलवाना सुनिश्चित करें।

4– समस्त तहसीलदार जनपद रामपुर को तहसील नोटिस वोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

5– अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद रामपुर को नोटिस वोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

6– जिला पंचायत/ जिला विकास अधिकारी रामपुर को नोटिस वोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

7– केन्द्रीय नाजिर मा0 जिला जजी रामपुर को नोटिस वोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

8– नाजिर सदर कलेक्ट्रेट रामपुर को नोटिस वोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

9– ओ0एस0डी0 शिविर कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार गुप्ता)
नगर मजिस्ट्रेट/प्र0अ0 नजारत
कृते जिलाधिकारी,रामपुर।